न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—237 / 2018 / 223 (2018 / 00237)

1. चौथूसिंह पुत्र लाखा,
2. अमरसिंह पुत्र लाला,
3. कूंपसिंह पुत्र लाला,
4. गोपालसिंह पुत्र लाला,
5. श्रीमती भंवरी बेवा लाला,

   समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम भोजपुरा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर । बहैसियत स्वंय व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद स्व0 लाखा व लालू पि0 सरदारा, जाति रावत, नि0 भोजपुरा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
6. मंगलसिंह पुत्र घीसासिंह,
7. आनन्दसिंह पुत्र सुवासिंह,
8. गोविन्दसिंह पुत्र सुवासिंह,
9. विजयसिंह पुत्र सुवासिंह,
10. सुरेश सिंह पुत्र सुवासिंह,
11. गंगादेवी बेवा सुवासिंह,
12. लकवीरसिंह पुत्र मोहनसिंह,
13. कविता पुत्री मोहनसिंह,
14. सरिता पुत्री मोहनसिंह,
15. जनता पुत्री मोहनसिंह,
16. श्रीमती संतोष बेवा मोहनसिंह,
17. रमा उर्फ रूकमा बेवा किशनसिंह,
18. चिम्मनसिंह पुत्र धन्नासिंह,
19. भंवरसिंह पुत्र धन्नासिंह,
20. गोविन्दसिंह पुत्र बालूसिंह,
21. श्रवणसिंह पुत्र बालूसिंह,
22. श्रीमती गीता बेवा बालूसिंह,

    समस्त जाति रावत, निवासी गांव भोजपुरा, तह0 ब्यावर बहैसियत स्वंय व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद स्व0 घीसा व धन्ना पि0 चन्दा, जाति रावत, निवासी भोजपुरा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भू—धारक तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, अजमेर ।
3. सरपंच, ग्राम पंचायत नरबदखेड़ा ।
4. नैनूसिंह पुत्र लाखा, जाति रावत, निवासी गांव भोजपुरा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 1.6.2018 अंतर्गत वाद संख्या 172 / 2014.

उपस्थितः—

1. श्री ज्ञानचंद गदिया, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. रेस्पो0 संख्या 3 व 4 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः—

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 1.6.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 व धारा 136 राज0भू0राजस्व अधि0 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव भोजपुरा, तहसील ब्यावर में साबिक खसरा नंबर 273 रकबा 15—15—00 जिसके हाल खसरा नंबर 417 रकबा 15—10—00, 415 रकबा 00—05—00 कुल रकबा 15—15—00 बीघा भूमि स्थित है । वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नंबर 273 रकबा 15—15—00 बीघा के खातेदार काश्तकार बमुजब जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 में वादीगण व प्रतिवादी नंबर 4 के पूर्वज घीसा व धन्ना पि0 चन्दा व लाखा व लालू पि0 सरदारा बहिस्से बराबर चले आ रहे थे । राजस्व जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 में स्थित खातेदार धन्ना का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् दिनांक 18.1.183 को धन्ना के वारिसान भंवरू, बालू, चिम्मनसिंह वादीगण संख्या 19 से 23 के पूर्वज का नाम अंकित किये जाने का आदेश पारित किया गया व जब तक वादीगण के पूर्वज जीवित रहे तब तक संपूर्ण वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार व काबिज काश्त रहे व उनके स्वर्गवास के बाद वादग्रस्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादी नंबर 4 का कब्जा काश्त चला आ रहा है । वादवर्णित आराजी साबि कखसरा संख्या 273 रकबा 15—15—00 के हाल के सेटलमेंट में खसरा नंबर 417 रकबा 15—10—00 व खसरा संख्या 515 रकबा 00—05—00 कायम किये जाकर राजस्व जमाबंदी संवत् 2041 में अंकित किया गया जिसमें भी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 के पूर्वजों का नाम बतौर खातेदार काश्तकार अंकित चला आ रहा है, किन्तु वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 में राजस्व कर्मचारियों की गलती व भूल से आराजी खसरा संख्या 417 रकबा 15—10—00 को गलत व गैर कानूनी रूप से व बिना अधिकार के व बिना किसी न्यायिक आदेश के उक्त जमाबंदी में गोला कर दिया व कुल रकबा में कमी कर दी तत्पश्चात् बनी जमाबंदी संवत् 2044 से 2047 में भी ग्राम पंचायत नरबदखेडा का चारागाह के रूप में नाम अंकित किया गया । तत्पश्चात् संवत् 2052 से लेकर अभी तक उक्त भूमि चारागाह के नाम पर राजस्व अभिलेखों में गलत व गैर कानूनी रूप से दर्ज चली आ रही है जबकि संपूर्ण वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 का अपने पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त बिना किसी बाधा के चला आ रहा है । अतः वाद वादीगण स्वीकार कर बिना किसी न्यायिक आदेश के उक्त भूमि गलत व गैरकानूनी रूप से चारागाह के रूप में दर्ज हो गई है, जिसे हटाया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 417 रकबा 15—10—00 भूमि बाबत् वादीगण को बहिस्से बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में आवश्यक दुरूस्ती किये जाने का आदेश प्रदान करावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 1.6.2018 द्वारा

वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज करने के आदेश पारित किये है । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि गांव भोजपुरा, तहसील ब्यावर में साबिक खसरा नंबर 273 रकबा 15–15–00 जिसके हाल खसरा नंबर 417 रकबा 15–10–00, 415 रकबा 00–05–00 कुल रकबा 15–15–00 बीघा भूमि स्थित है । वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नंबर 273 रकबा 15–15–00 बीघा के खातेदार काश्तकार बमुजब जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 में वादीगण व प्रतिवादी नंबर 4 के पूर्वज घीसा व धन्ना पि0 चन्दा व लाखा व लालू पि0 सरदारा बहिस्से बराबर चले आ रहे थे । राजस्व जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 में स्थित खातेदार धन्ना का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् दिनांक 18.1.183 को धन्ना के वारिसान भंवरू, बालू, चिम्मनसिंह वादीगण संख्या 19 से 23 के पूर्वज का नाम अंकित किये जाने का आदेश पारित किया गया व जब तक वादीगण के पूर्वज जीवित रहे तब तक संपूर्ण वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार व काबिज काश्त रहे व उनके स्वर्गवास के बाद वादग्रस्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादी नंबर 4 का कब्जा काश्त चला आ रहा है । वादवर्णित आराजी साबि कखसरा संख्या 273 रकबा 15–15–00 के हाल के सेटलमेंट में खसरा नंबर 417 रकबा 15–10–00 व खसरा संख्या 515 रकबा 00–05–00 कायम किये जाकर राजस्व जमाबंदी संवत् 2041 में अंकित किया गया जिसमें भी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 के पूर्वजों का नाम बतौर खातेदार काश्तकार अंकित चला आ रहा है, किन्तु वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 में राजस्व कर्मचारियों की गलती व भूल से आराजी खसरा संख्या 417 रकबा 15–10–00 को गलत व गैर कानूनी रूप से व बिना अधिकार के व बिना किसी न्यायिक आदेश के उक्त जमाबंदी में गोला कर दिया व कुल रकबा में कमी कर दी तत्पश्चात् बनी जमाबंदी संवत् 2044 से 2047 में भी ग्राम पंचायत नरबदखेडा का चारागाह के रूप में नाम अंकित किया गया । तत्पश्चात् संवत् 2052 से लेकर अभी तक उक्त भूमि चारागाह के नाम पर राजस्व अभिलेखों में गलत व गैर कानूनी रूप से दर्ज चली आ रही है जबकि संपूर्ण वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 का अपने पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त बिना किसी बाधा के चला आ रहा है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न केवल पत्रावली पर विद्यमान मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत है वरन् विधिक प्रावधानों, प्रतिपादित सिद्धांतों के भी प्रतिकूल है । अधी0न्याया0 मे वाद पत्रावली तामीली में चल रही थी तो तामील पूरी कराये बिना जल्दबाजी में बिना अपीलांटस को व उनके अधिवक्ता को कैम्प में सुने, बिना उन्हें सूचित किये केवल मात्र राजस्व कैम्प में निर्णित मुकदमों की संख्या बढ़ाने की नियत से मनमाने रूप से बिना पत्रावली का अध्ययन किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । राजस्व कैम्प में केवल मात्र लोक अदालत की भावना से वे ही प्रकरण तय किये जा सकते है जो कि आपसी सुलहनामा अथवा पक्षकारान की सहमति से हो, राजस्व कैम्पों में न तो तनकियात कायम की जाती है व न ही साक्ष्य ली जाती है व न ही बहस सुनी जाती है व न ही गुणावगुण पर तय किया जा सकता है । किन्तु अधी0न्याया0 ने राजस्व लोक अदालत कैम्प नरबदखेड़ा में बिना वादीगण अथवा उनके अधिवक्ता को सुने व बिना तनकियात कायम किये व बिना साक्ष्य का

अवसर दिये वाद को खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि वादग्रस्त आराजी बाबत् प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने प्रतिवाद पत्र पेश ही नहीं किया क्योंक प्रतिवादी संख्या 4 पर सम्मन की तामील नहीं हो सकी थी । अधी0न्याया0 के समक्ष पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह सुस्पष्ट था कि वादग्रस्त भूमि किसी भी प्रकार से चारागाह भूमि नहीं है व उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 के पूर्वजों की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है जिस पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 अरसे दराज से काबिज काश्त चले आ रहे है । राजस्व जमाबदी संवत् 2041 में विवादित आराजी बिना किसी न्यायिक आदेश के चारागाह दर्ज की गई है जो गलत इंद्राज है । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज है तथा चारागाह भूमि का किसी को भी नियमन/आवंटन नहीं किया जा सकता है । अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने वाद को कैम्प नदबदखेड़ा में निर्णित किया है। इस संबंध में अपीलांटस का कथन रहा है कि वादीगण/अपीलांटस का वाद तामील में चल रहा था तथा प्रतिवादी संख्या 4 पर सम्मन की तामील भी नहीं हुई थी इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वाद को कैम्प नरबदखेड़ा में रखकर अपीलांटस एवं उनके अधिवक्ता को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना वाद को सरसरी तौर पर खारिज किया हैं । इस संबधं में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वाद प्रतिवादी संख्या 4 की तामील में चल रहा था किन्तु प्रतिवादी संख्या 4 की तामील पूर्ण हुए बगैर अधी0न्याया0 ने प्रकरण का कैम्प नरबदखेड़ा में रखकर सरसरी तौर पर निर्णित किया है । हम विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस के इस कथन से भी सहमत है कि राजस्व कैम्प में केवल मात्र लोक अदालत की भावना से वे ही प्रकरण तय किये जा सकते है जो कि आपसी सुलहनामा अथवा पक्षकारान की सहमति से हो, राजस्व कैम्पों में न तो तनकियात कायम की जाती है व न ही साक्ष्य ली जाती है व न ही बहस सुनी जाती है व न ही गुणावगुण पर तय किया जा सकता है । किन्तु अधी0न्याया0 ने राजस्व लोक अदालत कैम्प नरबदखेड़ा में बिना वादीगण अथवा उनके अधिवक्ता को सुने व बिना तनकियात कायम किये व बिना साक्ष्य का अवसर दिये वाद को खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । जबकि हस्तगत प्रकरण में पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा अथवा सुलहनामा नहीं किया गया था जिससे उक्त प्रकरण को कैम्प में निर्णित करने के बजाय अधी0न्याया0 को वाद में आवश्यक तनकियात कायम कर पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णित व डिक्री विधिक प्रक्रिया के विपरीत होने से विधिसंगत नहीं माना जा सकता है ।

7. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 1.6..2018 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर, उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर